

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- ओमप्रकाश सहारण (आरएस)

मु.सं. 255/9018

निर्णय दिनांक :- 14.7.20

उनवान

1. भागुताराम पुत्र श्री गोपीराम जात गुर्जर निवासी ग्राम दादनपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर।

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।


—प्रतिवादीगण

दावा दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से वादपत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खाता संख्या 507 के खसरा नम्बर 535 लगायत 537, 340, 542 543, 544/12237, 547, 548, 551, 554, 557, 559, 561, 563 कुल कित्ता 15 कुल रकबा 2.87 है0 वाके ग्राम चाकसू पूर्व पटवार हल्का चाकसू पूर्व तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान तथा खाता संख्या 49 के खसरा नम्बर 120/2, 127/2, 128, 129, 130 कुल कित्ता 05 कुल रकबा 1.82 है0 तथा खाता संख्या 53 के खसरा


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)


नम्बर 265 कुल किता 1 कुल रकबा 0.08 है0 खाता संख्या 54 के खसरा नम्बर 181, 182, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 236, 237, 240, 241, 244, 251, 252, 254 कुल किता 17 कुल रकबा 2.87 है0 तथा खाता संख्या 57 के खसरा नम्बर 222, 317 कुल किता 02 कुल रकबा 1.24 है0 तथा खाता संख्या 56 के खसरा नम्बर 197, 213 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है0 तथा खाता संख्या 55 के खसरा नम्बर 194, 195, 196, 198, 203, 204, 205, 206 कुल किता 8 कुल रकबा 3.09 है0 तथा खाता संख्या 52 के खसरा नम्बर 207, 210, 212, 214, 215 कुल किता 05 कुल रकबा 0.86 है0 तथा खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 124/2, 146/3, 147/2 कुल किता 03 कुल रकबा 0.09 है0 तथा खाता संख्या 51 के खसरा नम्बर 145 रकबा 0.01 है0 कुल किता 01 कुल रकबा 0.01 है0 वाके ग्राम दादनपुरा पटवार हल्का डाहर तहसील चाकसू जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो हिस्सा अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें वादी का नाम भगवतराम पुत्र गोपीराम व भागीरथ पुत्र गोपी गलत दर्ज कर रखा है। वादी वादग्रस्त आराजी पर काबिज रहकर काशत करता चला आ रहा है तथा अपनी उपज का उपयोग व उपभोग शान्तिपूर्वक करता चला आ रहा है। वादी का विवादित आराजी में स्वयं का नाम भगवतराम पुत्र गोपीराम व भागीरथ पुत्र गोपी राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित हो रखा है जबकि वादी क वास्तवकि नाम भागुताराम पुत्र गोपी राजस्व रिकार्ड में अंकित होना चाहिये था जबकि वादी का नाम वोटरलिस्ट व आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

भागुताराम पुत्र गोपी अंकित हो रखा है जो सही दर्ज हो रखा है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में भगवताराम व भागीरथ के स्थान पर भागुताराम दर्ज होना चाहिये था। वादी का नाम वादग्रस्त आराजी में राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से वादी का नाम भगवतराम व भागीरथ राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में भागुताराम अंकित होना चाहिये था जससे वादी वादग्रस्त आराजी में स्वयं का नाम भगवतराम व भागीरथ की जगह भागुताराम दुरुस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे जिसका वादी कानूनन अधिकारी है। वादी वादग्रस्त आराजी की राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तथा उक्त नकलो को दिनांक 23.09.2019 को बैंक में दिखाया तो दस्तावेजों व रिकार्ड में नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है। बैंक में दिखाया तो दस्तावेजों व रिकार्ड में नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है। बैंक वालो ने कहा कि पहलु तुम नाम दुरुस्त कराओ तब लोन देंगे तब जानकारी हुई। वादी के लिये आवश्यक हो गया कि वो वादग्रस्त आराजी में वादी का अपना नाम भगवतराम व भागीरथ की जगह भागुताराम दुरुस्त करावे तथा प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे जिससे वादी श्रीमान के समख पेश करना आवश्यक हुआ। वादी के लिये वादकारण दिनांक 23.09.2019 को बैंक वालो ने कहा कि अपना नाम अलग अलग दर्ज हो रखा है जिसके लिये कहने पर उत्पन्न हुआ। विवादित आराजी श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार हासिल हैं।



उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वादी का वाद अन्दर मियाद व निश्चित न्याय शुक्ल पर पेश है।
वाद बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर विवादित भूमि
खाता संख्या 507 के के खसरा नम्बर 535 लगायत 537, 340, 542
543, 544 / 12237, 547, 548, 551, 554, 557, 559, 561, 563 कुल
किता 15 कुल रकबा 2.87 है० वाके ग्राम चाकसू पूर्व पटवार हल्का
चाकसू पूर्व तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान तथा खाता
संख्या 49 के खसरा नम्बर 120/2, 127/2, 128, 129, 130 कुल
किता 05 कुल रकबा 1.82 है० तथा खाता संख्या 53 के खसरा
नम्बर 265 कुल किता 1 कुल रकबा 0.08 है० खाता संख्या 54 के
खसरा नम्बर 181, 182, 220, 221, 223, 224, 226, 227, 228, 236,
237, 240, 241, 244, 251, 252, 254 कुल किता 17 कुल रकबा 2.
87 है० तथा खाता संख्या 57 के खसरा नम्बर 222, 317 कुल किता
02 कुल रकबा 1.24 है० तथा खाता संख्या 56 के खसरा नम्बर
197, 213 कुल किता 2 कुल रकबा 0.08 है० तथा खाता संख्या 55
के खसरा नम्बर 194, 195, 196, 198, 203, 204, 205, 206 कुल
किता 8 कुल रकबा 3.09 है० तथा खाता संख्या 52 के खसरा नम्बर
207, 210, 212, 214, 215 कुल किता 05 कुल रकबा 0.86 है० तथा
खाता संख्या 5 के खसरा नम्बर 124/2, 146/3, 147/2 कुल
किता 03 कुल रकबा 0.09 है० तथा खाता संख्या 51 के खसरा
नम्बर 145 रकबा 0.01 है० कुल किता 01 कुल रकबा 0.01 है० वाके
ग्राम दादनपुरा पटवार हल्का डाहर तहसील चाकसू जिला जयपुर
राज० में स्वयं वादी का नाम भगवतराम व भागीरथ के स्थान पर
भागुताराम दुरुस्त फरमाया जावे।



उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की त्रुटि नही करे। दावा वकील वादी के पेश करने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गयी व जवाब सरकार किया गया तो जवाब सरकार निम्नानुसार पेश किया गया कि :-

अप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से जवाब सरकार निम्न प्रकार प्रेषित किया गया कि मद संख्या 1 का मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम चाकसू पूर्व सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 507 किता 15 रकबा 2.87 है0 में प्रार्थी का नाम भगवतराम पुत्र गोपीराम जाति गुर्जर दर्ज है। मुताबिक राजस्व जमाबंदी ग्राम दादनपुरा के सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 49 किता 5 रकबा 1.82 है0 में खातेदार भगवतराम पुत्र गोपी हिस्सा 1/2 जाति गुर्जर सा0 देह खाता संख्या 53 किता 01 रकबा 0.08 खातेदार भागीरथ पुत्र गोपी हिस्सा 1/24 जाति गुर्जर सा0 देह वगै0 खाता संख्या 54 किता 17 रकबा 2.87 है0 मु खातेदार भागीरथ पुत्र गोपी हिस्सा 1/12 जाति गुर्जर सा0 देह खाता संख्या 55 किता 08 रकबा 3.09 है0 खातेदार भागीरथ पुत्र गोपी हिस्सा 1/36 जाति गुर्जर सा0 देह वगै0 खाता संख्या 56 किता 2 रकबा 0.08 है0 में खातेदार भागीरथ पुत्र गोपी हिस्सा 1/36 जाति गुर्जर सा0 देह वगै0 खाता संख्या 57 किता 2 रकबा 1.24 है0 में खातेदार भागीरथ पुत्र गोपी हिस्सा 1/36 जाति गुर्जर सा0 देह वगै0 खाता संख्या 51 किता 1 रकबा 0.01 है0 में खातेदार भगवतराम पुत्र गोपी हिस्सा 1/16 जाति गुर्जर सा0 देह


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

वगै० खाता संख्या 52 किता 5 रकबा 0.86 है० में खातेदार भागीरथ पुत्र गोपी हि० 1/24 जाति गुर्जर सा० देह वगै० खाता संख्या 5 किता 3 रकबा 0.09 है० में खातेदार भगवतराम पुत्र गोपी हिस्सा 1/16 जाति गुर्जर सा० देह वगै० राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मद संख्या 2 वादी स्वयं सिद्ध करे। मद संख्या 3 के क्रम में यह है कि राजस्व जमाबंदी में प्रार्थी का नाम भागीरथ पुत्र गोपी व भगवतराम पुत्र गोपी है तथा आधार कार्ड व पहचान पत्र में भी प्रार्थी का नाम भगवतराम गुर्जर पुत्र गोपीराम है। मद संख्या 4 का प्रथम भाग वादी स्वयं सिद्ध करें शेष भाग कानूनी है। मद संख्या 5 वादी स्वयं सिद्ध करें। मद संख्या 6 से 9 कानूनी है। मद संख्या 10 (क) से 10(ग) माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। संलग्न :- राजस्व जमाबंदी व पटवारी जांच रिपोर्ट, जवाब सरकार पेश होने पर बहस दावा वकील वादी की सुनी गयी तो वादी वकील ने दावे का समर्थन करते हुये कथन किया कि वादी का नाम भागुताराम पुत्र गोपी है जबकि राजस्व रिकार्ड में भगवतराम, व भागीरथ पुत्र गोपी अंकित कर रखा है जबकि वादी के वारिसान के समस्त दस्तावेजात में भागुताराम पुत्र गोपी अंकित है, केवल वादी का नाम ही राजस्व रिकार्ड में भगवतराम भागीरथ दर्ज है जो सहखातेदार रामसहाय पुत्र गोपी के शपथ पत्र एवं सरपंच ग्रम पंचायत काठावाला के प्रमाण पत्र के आधार पर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त फरमाया जावे। वादी ने दावे के समर्थन में सरपंच ग्र० प० काठावाला का प्रमाण पत्र जमाबंदी चाकसू पूर्व के 2073-76 के खाता संख्या 507, दादनपुरा की संवत 2074-77 खाता संख्या 53, 49, 54, 57, 56,


उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

